

संचिका सं०-10/विविध-17-33/2012 35 (10) अ


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-572(10), दिनांक-20.09.2016 की कंडिका-3 एवं आवंटनादेश संख्या-10(10)ब, दिनांक-31.10.2016 की कंडिका-4 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है:-

2. "इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे" के स्थान पर "इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-51 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या-238 एवं विपत्र कोड-L8448001200017 में उपलब्ध करायेंगे" पढ़ा जाय ।

3. शेष बातें यथावत रहेगी ।



28/3/17
(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:-10/विविध-17-33/2012 35 (10) अ /स्वा०, पटना, दिनांक:-28/3/2017

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी सिविल सर्जन, /कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, कार्यवाह सहायक एवं आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।


28/3/17
सरकार के विशेष सचिव ।